पक्षकारों एवं अभि. आदि के ह.

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म०प्र०

1- रामसजीवन प्रसाद तनय सदा शिव प्रसाद पाण्डेय उम्र 45 साल निवासी ग्राम डिहिया पड़ान तहसील नईगढी जिला रीवाम०प्र०

2- सिद्ध नाथ तनय श्री सदा शिव प्रसाद पण्डेय उम्र 71 साल निवासी डिहिया पड़ान तहसील नईगढी जिला रीवाम०प्र० .... पुनरीक्षण कर्ता

R-1847-II/12

बनाम

1- रामाधार पाण्डेय पिता श्री देवनारायण पाण्डेय सा०डिहियापड़ान तह० नईगढी जिला रीवाम०प्र०

2- शासन म०प्र० .... गैर पुनरीक्षण कर्ता

अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया दिनांक 6-06-2012

6.6.12

पुनरीक्षण न्यायालय तहसीलदार तह० नईगढी जिला रीवा प्र.क्र. 10ए/12 - 2010-11 आदेश दिनांक 23.8.2011 पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू. राजस्व संहिता । संशोधन 2011

27-6-12

मान्यवर,

पुनरोक्षण आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधी० न्यायालय तहसीलदार तह० नईगढी, जिला रीवा आदेश दिनांक 23.8.2011 बिना विधि व्यवस्थाओ का अवलोकन निरीक्षण किये हुए पारित कियागयाहै जो विधि एव प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है ।

2- यह कि पुनरोक्षण कर्ता जो भूमि नं. 870 रकवा 0.50 एकड़ स्थित ग्राम

9926941054

(262)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक R–1947-II / 12 जिला–रीवा

रामसजीवन प्रसाद पाण्डेय / रामाधार पाण्डेय

(1)	(2)
13.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अनुराग द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/ए–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23.8.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य